पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र





भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 97RAJ04005

दिनांक : 28/04/2020

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र

Makhupura, Industrial Area

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

अजमेर.—305 002 (राजस्थान)

संख्या: RAJ/BAR-23/S EARTH-10

8mt. Deep Sundari,

Owner- Mati Ka Gol Siliceous Earth Mine Shastri Nagar, Barmer (Rajasthan) 344 001 Rajasthan (e-mail: deepsundri@yahoo.in)

विषय :

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Mati Ka

Gol Siliceous Earth Mine (M.L. 08/97, Lease area 5.0 Hect.) in Barmer District of Rajasthan State.

महोदय.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 04.03.2020 by the undersigned in presence of Shri Parmeshwar

Khatri, owner's representative:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
26 (2)	A yearly report to be submitted before 1st July of every year setting forth the extent of protective and
	rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan has not
	been submitted to this office for the year 2018-19.
45(5)(b)	A monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, but till date you have not submitted the mothly returns of your mine in respect of February 2020 & March 2020.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

- (क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।
- 2 निदेशक, खान एवं भृविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बाड़मेर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो